न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
27/2019	27.06..2019	29.01.2021

उनवान

1. पवन कुमार उर्फ मोनू सिंह पुत्र श्री जगदेव जाति जूलाहा (चमार) निवासी गढी हरसरू जिला गुडगवा हरि0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल आर एक्ट 1956

: निर्णय :—

दिनांक :— 29.01.2021

उपस्थिति :—

1— श्री रणवीर सिंह, वकील प्रार्थी

1. यह है कि मिन प्रार्थी का वोटर लिस्ट, आधार कार्ड में सही नाम पवन कुमार है तथा राशन कार्ड मे भी पवन कुमर उर्फ मोनू सिंह है। जो ग्राम हरसरू जिला गुडगावा का रहने वाला है।
2. यह है कि प्रार्थी को घर में मोनू के नाम से भी जाना जाता है तथा गाव में भी मौनू के नाम से पुकारा जाता है जबकि पवन कुमार व मौनू एक ही व्यक्ति है जो जगदीश का पुत्र है जिसका प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पंचासर गढी हरसरू व नायब तहसीलदार गढी हरसरू द्वरा तस्दीक किया हुआ हे।
3. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 805/0.25 है0, 935/804/0.76 है0, 938/817 रकबा 1.01 है0 कुल कित3 कुल रकबा 2.02 है0 बारानी सोयम— बारानी दोयम, बारानी तृतीय का 4/5 हिस्सा जो ग्राम मोहम्मदपुर में स्थित है तथा आराजी खसरा नबर 800 रकबा 0.63, 809 रकबा 0.32, 812 रकबा 0.10, 813 रकबा 0.09, 814 रकबा 0.06, 815 रकबा 0.10,, 816 रकबा 0.08, 937/811 रकबा 0.06, 939/817 [illegible] है0 वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर [illegible] है। जिस भूमि का विक्रय पत्र तहरीर करते [illegible] लिखा गया जबकी पवन कुमार उर्फ मोनू सिंह [illegible] उप पंजियक मुण्डावर दिनांक 27.06.200[illegible] गया और विक्रय पत्र के मुताबिक ही जमाबन्दी में मिन प्रार्थी का बोलता नाम मोनूसिंह दर्ज कर दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

है। जो अंकन जमाबनदी में चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त कराकर पवन कुमार उर्फ मोनू सिंह कराया जाना आवश्यक हैं।

प्रार्थीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि आराजी खसरा नम्बर 805/0.25 है0, 935/804/0.76 है0, 938/817 रकबा 1.01 है0 कुल कित3 कुल रकबा 2.02 है0 बारानी सोयम– बारानी दोयम, बारानी तृतीय का 4/5 हिस्सा जो ग्राम मोहम्मदपुर में स्थित है तथा आराजी खसरा नबर 800 रकबा 0.63, 809 रकबा 0.32, 812 रकबा 0.10, 813 रकबा 0.09, 814 रकबा 0.06, 815 रकबा 0.10,, 816 रकबा 0.08, 937/811 रकबा 0.06, 939/817 रकबा 0.78, 940/817 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर स्थित है जिसके राजस्व रिकोर्ड में मिन प्रार्थी/वादी का सही नाम पवन कुमार उर्फ मोनू दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश नही किया। वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में विक्रय पत्र की छायाप्रति, छायाप्रति राशनकार्ड, पेनकार्ड, आधार कार्ड, शपथ पत्र, नायब तहसीलदार गढी हरसरू की रिपोर्ट, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 पेश किये है जो शामिल मिसल है।

पैरोकार सरकार द्वारा अवगत कराया है कि संशोधन किया जाना उचित है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड होने का निवेदन किया है।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण के द्वारा खरीदशुद्ध होने जाने की स्थिति प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी में मोनूसिंह के साथ पर पवन कुमार उर्फ मोनू दर्ज किया जावे। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29.1.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:19 IST
Reason: SelfAttested